

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.6 लेखा/RTIDF/जेसीटीएसएल/डीएलबी/2012-13/42814

दिनांक 2-11-18

-:स्वीकृति आदेश:-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 13वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 40803 दिनांक 20.09.2018 के एजेंडा बिन्दु संख्या 13.4.9 के निर्णय के क्रम में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर को वर्ष 2018-19 की संभावित संचालन हानि के विरुद्ध राशि रु. 210.94 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ दस लाख बीसवाँ हजार मात्र) जेसीटीएसएल के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(राशि लाख रु. में)

विकलेय मद	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 29 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [02] - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	144.90
मांग संख्या - 51 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [06] - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	37.61
मांग संख्या - 30 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [04] - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	28.43
कुल योग	210.94

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्वधीन जारी की गई है:-

01. जेसीटीएसएल राशि का व्यय आरटीपीपी एक्ट-2012/रूल्स 2013, संबंधित नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
02. जेसीटीएसएल राशि का उपयोग आरटीआईडीएफ की संचालन समिति के निर्णय में उल्लेखित उद्देश्य हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा।
03. जेसीटीएसएल आगे दिशा रिलीज करवाने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र/अंकेक्षित लेखें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
04. जेसीटीएसएल संचालन हानि न्यूनतम करने के निर्णय की पालना सुनिश्चित करेगा।
05. इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का पीडी खाते से आहरण निधियों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा
06. जेसीटीएसएल से राशि जारी के से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि RTIDF के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पूर्ण पालना की गई है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 101805827 दिनांक 26.10.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6 लेखा/RTIDF/जेसीटीएसएल/डीएलबी/2012-13/42815-26 दिनांक: 2-11-18
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।

3.

3. महालेखाकार (लेखा एवं हक) / (लेखा परीक्षा-प्रथम / द्वितीय), राज0जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन हैं कि प्रश्नगत प्रकरण नियमित प्रक्रिया के तहत कम्पनी को अनुदान राशि जारी करने से सम्बन्धित है, जो कि आदर्श चुनाव संहिता से प्रभावित नहीं है। अतः राशि रु 210.94 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ दस लाख चौरानवें हजार मात्र) राजस्थान जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 5746 में हस्तान्तरित करने का श्रम करावें।
10. कृषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
11. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अंक मिलान शाखा।

(एस.आर.मीणा)
परियोजना निदेशक